

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 384 / 15

संस्थित दिनांक-19.06.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

राजेन्द्रसिंह पुत्र तुलसीराम जाटव उम्र 40 साल
निवासी हरीरामपुरा थाना मालनपुर, पुराना पता
नया मुहल्ला नदीपार टाल मुरार जिला ग्वा० म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 31.08.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 337, 304 ए के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 16.05.15 को 20:30 बजे टेक्टर क्रमांक एम०पी०-30 एए-7111 को लोकमार्ग पर उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, टक्कर मारकर रजिया को साधारण उहपति कारित की तथा मुन्ना खां की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की कोटि में नहीं आती।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 16.05.15 को रात्रि करीब 8:30 बजे फरियादी रजिया अपने पिता मुन्ना खां के साथ मोटरसाईकिल क्र० यू०पी० 30 एम०जी० 0106 से गोहद आ रही थी पिता मोटरसाईकिल चला रहे थे। अपैक्स कालेज के सामने मोटरसाईकिल जा रही थी तभी आगे जा रहे टेक्टर के चालक ने टेक्टर को तेजी और लापरवाही से चलाकर बिना संकेत दिए अचानक से रोक दिया जिससे मोटरसाईकिल टकरा गयी और मुन्ना खां को शरीर पर गंभीर चोटें आई और फरियादी को भी चोटें आई। रमजान खां एवं शाईद खां दूसरी मोटर साईकिल से आ रहे थे। जिन्होंने फरियादी व उसके पिता को गोहद अस्पताल पहुचाया तब तक मुन्ना खां की मृत्यु हो गई। उक्त आशय की सूचना से देहाती नालसी लेख की गई व मर्ग कायम किया गया, शव परीक्षण कराया गया, अपराध क्र० 98/15 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्सा मौका बनाया गया। आहत का परीक्षण कराया गया। वाहन जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। मेकैनिकल जांच कराई गई। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०सं० 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने स्वयं के निर्दोष होने तथा झूठा फंसाए जाने का कथन किया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.05.15 को 20:30 बजे टैक्टर क्रमांक एम०पी०-30 ए०ए-7111 को लोकमार्ग पर उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?

2. क्या उक्त दिनांक व समय पर रजिया को कोई चोट मौजूद थी एवं क्या मृतक मुन्ना की मृत्यु हुई ?

3-क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर आहत को उक्त चोटें कारित की ?

4-क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मुन्ना खां की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की कोटि में नहीं आती?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रजिया अ०सा० 1, रमजान अ०सा० 2, किशनलाल अ०सा० 3, डा० धीरज गुप्ता अ०सा० 4, रामकरन शर्मा अ०सा० 5, शाहिद अ०सा० 6, सुरेन्द्र अ०सा० 7 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 //

6. फरियादी रजिया अ०सा० 1 घटना 16 मई 2015 रात 8:30 की भिण्ड ग्वालियर हाईवे पर छीमका गांव के पास की बताती है। वह अपने पिता मुन्ना खां के साथ मोटर साईकिल पर बैठकर गोहद की तरफ जा रही थी। ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर को लहराता इधर-उधर चला रहा था। उसके पिता ने मोटर साईकिल निकालने की कोशिश की तो ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। वह घटना के बाद बेहोश हो गई थी। उसे अस्पताल में होश आया, दूसरे दिन पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। साक्षी यह कथन करती है कि उसने देहाती नालसी प्र०पी० 1 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर अस्पताल में किये थे। साक्षी उसे सिर हाथ व शरीर में चोटें आने का कथन करते हुए आधा चेहरा खराब होने की बात बताती है। रमजान अ०सा० 2 कथन करते हैं कि डेढ साल पहले गर्मी के समय रात करीब 8-8:30 बजे वे अपने अपने दोस्त साहिद के साथ मोटर साईकिल से ग्वालियर से आ रहे थे, जब गोहद चौराहे से पहले पहुंचे तो वहां भीड़ लगी देखी। वहां जाकर देखा तो उसके पिता को पुलिस थाने की गाड़ी में रख लिया था और बहन भी गाड़ी में बैठी थी। साहिद खां अ०सा 6 बताते हैं कि मुन्ना खां की मृत्यु एक-डेढ साल पहले हो गई लेकिन किन्तु कैसे हुई इसकी जानकारी नहीं है।

7. प्रकरण में डा० धीरज गुप्ता अ०सा० 4 यह कथन करते हैं कि उन्होंने दिनांक 17.05.2015 को सी०एच०सी० गोहद में मेडिकल ऑफिसर के पर होते हुए आरक्षक मनोज राजे थाना गोहद चौराहे द्वारा लाये जाने पर मृतक मुन्ना खों का शव परीक्षण किया था। मृतक के चार बाह्य चोटें तथा अन्य चोटों का कथन करते हुए मृतक की मृत्यु सिर में आई चोट के कारण कोमा में जाने से हुई थी। मृतक की मृत्यु शव परीक्षण से 6-24 घण्टे के भीतर होना प्रतीत हो रही थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 12 बताकर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। दिनांक 16.05.2016 को आहत रजिया का परीक्षण करने पर उसके दाहिनी आंख के बाहरी ओर चेहरे पर एक खरोंच 2 गुणा 1 सेमी०, सिर में फटा हुआ घाव फ्रंटल एरिया में 2 गुणा 0.05 सेमी सूजन दाहिनी कोहनी तथा दाये हाथ में तथा सूजन दाहिनी कलाई में पायी थी। उक्त चोटें 0-6 घण्टे के भीतर कठोर व भोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 13 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

8. प्रकरण में आहत रजिया को दुर्घटना में चोटें कारित होने, मृतक मुन्ना की मृत्यु दुर्घटना में कारित होने के तथ्य को अभियुक्त की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है। प्र०पी० 1 की देहाती नालसी तथा प्र०पी० 12 एवं 13 के चिकित्सीय दस्तावेजों से अखण्डनीय रूप से यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 16.05.2015 को रात्रि करीब 8:00-8:30 बजे आहत रजिया को दुर्घटना में चोटें कारित हुई थी तथा मृतक मुन्ना की दुर्घटना में मृत्यु कारित हुई थी।

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 3 व 4//

9. फरियादी रजिया अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में उसके पिता द्वारा मोटरसाईकिल चलाकर कथित टेक्टर से आगे निकलने के प्रयास में टक्कर हो जाने का कथन किया गया है। अपने अभिसाक्ष्य में उसने न तो अभिकथित टेक्टर का कोई नंबर बताया न हीं उसे कौन चला रहा था, इसके संबंध में कोई सारवान कथन किया है। कथित चक्षुदर्शी साक्षी रमजान अ०सा० 2 एवं शाहिद अ०सा० 6 द्वारा उनके समक्ष दुर्घटना कारित होने के तथ्य से इंकार किया गया है। उक्त साक्षीगण अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताने में अस्मर्थ हैं कि कथित दुर्घटना किस वाहन से हुई तथा उसे कौन चला रहा था। प्र०पी० 1 की देहाती नालसी में टेक्टर का कोई नंबर लेख है, न हीं कथित टेक्टर कौनसी कंपनी का था तथा उसे कौन चला रहा था, इसका उल्लेख है। इस प्रकार से प्रकरण के सर्वोत्तम चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा अभियुक्त के घटना दिनांक व समय पर टेक्टर को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने के संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अनुसंधानकर्ता किशनलाल अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उन्होंने दिनांक 17.05.15 को घटनास्थल से टेक्टर मय ढाली जब्तकर जब्ती पत्रक प्र०पी० 8 बनाया था जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। अभिकथित जब्ती पत्रक के अनुसार

जोनडियर टेक्टर जिस पर उसका पंजीयन क्रमांक अंकित नहीं था उसे घटनास्थल से जब्त करना बताया गया है किन्तु अभिकथित टेक्टर को अभियुक्त के आधिपत्य से जब्त भी नहीं किया गया है। किशनलाल अ०सा० 3 यह कथन करते हैं कि उन्होंने वाहन स्वामी सुरेन्द्रसिंह से प्रमाणीकरण प्र०पी० 11 लिया था जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। सुरेन्द्रसिंह अ०सा० 7 कथित टेक्टर एम०पी०-30 एए 7111 का पंजीकृत स्वामी होना बताते हैं किन्तु उक्त टेक्टर से दुर्घटना के संबंध में कोई भी कथन नहीं करते। साक्षी अभियुक्त को न जानने का भी कथन करते हैं। प्रमाणीकरण प्र०पी० 11 पर अपने बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर तो स्वीकार करते हैं किन्तु स्पष्टीकरण देते हैं कि पुलिस ने उनकी गाडी पर कागज न होने से एक बार थाना चौराहे पर पकड़ लिया था जिसके कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए थे। इस प्रकार से साक्षी द्वारा अभिकथित प्रमाणीकरण की सत्यता को प्रश्नचिन्हित किया गया है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्नों में अभिकथित घटना दिनांक 16.05.15 को एपैक्स कॉलेज के पास तेजी व लापरवाही से दुर्घटना कारित कर देने की बात अभियुक्त से पता चलने का सुझाव दिया गया तो साक्षी ने उक्त सुझाव से इंकार किया है। ऐसे में सर्वप्रथम तो अभियुक्त के घटना दिनांक को सुसंगत समय पर कथित टेक्टर को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाने के संबंध में तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं और प्र०पी० 11 का प्रमाणीकरण यदि मान भी लिया जाए तो वह न्यायिकेत्तर स्वीकृति की श्रेणी का है, जिसके संबंध में अभियोजन की अन्य साक्ष्य से पुष्टि के अभाव में विश्वास किया जाना न्यायोचित नहीं है।

11. प्रकरण में रामकरन शर्मा अ०सा० 5 मैकेनिकल जांच कर्ता है जो दिनांक 26.05.15 को थाना गोहद चौराहे पर जब्तशुदा टेक्टर एम०पी०- 30 एए 7111 जोनडियर की मैकेनिकल जांच करना बताते हैं जिसमें क्लीनर साईड की हैड लाईट क्षतिग्रस्त होने तथा बोनट पिचका होने की बात बताते हैं। उक्त साक्षी ने परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 15 बताकर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। उक्त प्र०पी० 15 की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट अभियोजन का दस्तावेज है जिसके अनुसार टेक्टर की हैड लाईट तथा बोनट क्षतिग्रस्त पाई गयी है, जबकि फरियादी रजिया के कथन अनुसार उसके पिता द्वारा चलाई जा रही मोटरसाईकिल टेक्टर में पीछे से टकराई थी। प्र०पी० 1 की देहाती नालिसी में टेक्टर चालक द्वारा टेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर बिना संकेत दिए अचानक से रोक देने के कारण मोटरसाईकिल के टकरा जाने का तथ्य लेख है। ऐसी दशा में जहां कथित मोटरसाईकिल पीछे से टकराई हो वहां हैड लाईट और बोनट के क्षतिग्रस्त होने की संभावना उत्पन्न नहीं होती है। ऐसी दशा में कथित टेक्टर से दुर्घटना कारित होने का तथ्य भी संदिग्ध हो जाता है।

12. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं

कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोयीलैण्डी व अन्य ए०आई०आर० 2016 एस०सी० 4581: 2016-4 सी०सी०एस०सी० 1807 में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि "विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए "सत्य हो सकेगा" की परिधि में अपने मामले को दाखिल करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से "सत्य होना चाहिए" के संवर्ग में उसे उद्धृत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध साक्ष्य की पृष्ठभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साय पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्दोषता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।"

13. उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 16.05.15 को 20:30 बजे टेक्टर क्रमांक एम०पी०-30 ए०ए-7111 को लोकमार्ग पर उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, टक्कर मारकर रजिया को साधारण उहपति कारित की तथा मुन्ना खां की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की कोटि में नहीं आती। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 337, 304 ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए जाते हैं। नवीन प्रस्तुत मुचलका 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

15. प्रकरण में जव्तशुदा वाहन टेक्टर क्रमांक एम०पी०-30 ए०ए 7111 पूर्व से पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद सुपुर्दगीदार के पक्ष में निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही/-

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/-

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)